BSES YAMUNA
Shakti Kiran Building, Karkardooma, New Delhi-110 092

धोबी घाट पर पकड़ी गई 310 किलोवॉट की बिजली चोरी, 1.88 करोड़ जुर्माना

- दो जगहों पर छापे में कुल 2.5 करोड़ रूपये का जुर्माना

नई दिल्ली, 1 नवंबर, 2006। दो अलग- अलग मामलों में बीएसईएस एन्फोर्समेंट टीमों ने 550 किलोवॉट की बिजली चोरी पकड़ी, जिन पर कुल 2.5 करोड़ रूपये का जुर्माना किया जा रहा है। शंकर रोड स्थित धोबी घाट पर 310 किलोवॉट की बिजली चोरी पकड़ी गई, जबकि अजमेरी गेट के पास रेलवे कॉलोनी में अवैध बिजली वितरक 250 किलोवॉट बिजली की चोरी करते पकड़ा गया।

धोबी घाट पर पकड़ी गई 310 किलोवॉट की बिजली चोरी, 1.88 करोड़ जुर्माना

आप अपने पड़ोस के ड्राईक्लीनर को अपने महंगे कपड़े डाईक्लीन करने के लिए देते हैं, लेकिन हो सकता है, आपके कपड़े ड्राईक्लीन करने के लिए चोरी की बिजली का उपयोग किया जा रहा हो, जबकि पैसे आप पूरे दे रहे हैं। जी हां, शंकर रोड के पास स्थित धोबी घाट पर बीएसईएस की एन्फोर्समेंट टीम ने छापा मारा, जहां 1500 मीटर क्षेत्र में फैले इस कारोबार को करने वाले अशोक कुमार 70 प्रेस, 20 हाइड्रोजन लैंप और 40 से भी अधिक बल्ब का इस्तेमाल चोरी की बिजली से करते पाए गए। गौरतलब है कि उनके बिजली मीटर का सैंक्शंड लोड सिर्फ 6 किलोवॉट है, जबकि वह पास से गुजर रही बीएसईएस की तारों पर हुक लगाकर 310 किलोवॉट बिजली की चोरी कर रहे थे। आसपास के लोगों का कहना है कि अशोक निकटवर्ती होटलों, रेस्त्राओं और अन्य डाईक्लीनर्स के लाउंड्री का काम ठेके पर किया करते थे। उन पर 1 करोड़ 88 लाख का जुर्माना किया जा रहा है।

रेलवे कॉलोनी में अवैध बिजली वितरक पकड़ा गया, 60 लाख जुर्माना

अजमेरी गेट के पास बस्ती रेलवे कॉलोनी में भी बीएसईएस एन्फोर्समेंट टीम का छापा पड़ा। यहां 250 किलोवॉट की बिजली चोरी पकड़ी गई। राजा राम मौर्या को इतनी भारी मात्रा में बिजली की चोरी और अवैध ढंग से उसका वितरण करते हुए पकड़ा गया। इस मामले में भी अभियुक्त पास से गुजर रही बीएसईएस की तारों पर हुक डालकर बिजली की चोरी कर रहा था। वह 150 निवासियों को बिजली सप्लाई कर रहा था। इन निवासियों में सभी के पास वोटर आई कार्ड हैं।

बीएसईएस के एक अधिकारी के मुताबिक, अभियुक्त यहां के लोगों से 50 रूपये प्रति माह चार्ज कर रहा था। उस पर 60 लाख रूपये से अधिक का जुर्माना किया जा रहा है। बीएसईएस प्रवक्ता के अनुसार, दोनों मामलों में अभियुक्तों के खिलाफ भारतीय बिजली कानून, 2003 के अनुसार कार्रवाई की जाएगी।

दल्ली की प्रमुख बिजली वितरण कंपनी बीएसईएस अपने उपभोक्ताओं को गुणवत्तायुक्त बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है।

अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें:
प्रशान्त दुआ-39999870/ 9312007822
कॉरपोरेट कम्युनिकेशंस

चंद्र पी कामत- 39999840/ 9350130304
कॉरपोरेट कम्युनिकेशंस